

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 120]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 25 मार्च 2015—चैत्र 4, शक 1937

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 25 मार्च 2015

क्र. एफ 3-(10)-2008-एक-10.—मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधिनियम, 1981 (क्रमांक 37 सन् 1981) की धारा 13-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, लोकायुक्त की अनुशंसा पर, एतद्वारा श्री शिवराम पटना को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिये संभागीय सतर्कता समिति, सागर संभाग में अध्यक्ष के पद पर नियुक्त करती है.

No. F. 3 (10)-2008-I-10.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13-A of the Madhya Pradesh Lokayukta Evam Up-Lokayukta Adhinyam, 1981 (No. 37 of 1981), the State Government, on the recommendation of the Lokayukta, hereby appoints Shri Shivram Patna as Chairman, in the divisional vigilance committee, Sagar division for the period of three years from the date of joining.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश कौल, उपसचिव.